



न्यायालय

सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय, जयपुर

(पीठासीन अधिकारी - गौरव बांकावत आर.ए.एस.)

वाद संख्या:- 2008/156 (पुराना वाद संख्या : 201/2004)

1. रामनाथ पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर,
जिला जयपुर।

वादी



बनाम

1. कल्याण (मृतक)

- 1/1 जगदीश पुत्र स्व0 श्री कल्याण
 - 1/2 भगवानसहाय पुत्र स्व0 श्री कल्याण
 - 1/3 कालूराम पुत्र स्व0 श्री कल्याण
- समस्त जाति -मीणा निवासीयान् - ग्राम दोंतली, तहसील सांगानेर जिला जयपुर
2. हरला पुत्र रामदेव (मृतक)
 - 2/1 दौलाराम पुत्र स्व0 हरला
 - 2/2 प्रहलाद पुत्र स्व0 हरला
 - 2/3 मूलचन्द पुत्र स्व0 हरला
- समस्त जाति मीणा निवासीयान्-ग्राम दोंतली, तहसील-सांगानेर, जिला-जयपुर।
3. श्योजी पुत्र रामदेव जाति मीणा निवासी ग्राम दोंतली तहसील सांगानेर जिला जयपुर।
 4. जयपुर विकास प्राधिकरण जरिये सचिव-जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर।
 5. तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर।



सत्यमेव जयते

प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्तागण

वादी : श्री राजकुमार पारिक, श्री प्रहलाद बागड़ा
प्रतिवादी संख्या 1 :- श्री नरेश कुमार जैन, श्री विरेन्द्र सिंह शेखावत

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड दुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

—निर्णय:—

निर्णय तिथि:—18.07.2025

वादी की ओर से वाद बाबत घोषणा, दुरुस्ती व रथाई निषेधाज्ञा हेतु पेश किया गया जिसका वृत्तान्त विवरण निम्न प्रकार से है :- भूमि खसरा नम्बर गत 3, रकबा 8 बीघा 5 बिरवा राजस्व ग्राम दौतली पटवार हल्का दौतली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र गोनोर तहसील सांगानेर जिला जयपुर में स्थित है। बन्दोवस्त के पश्चात् खसरा नम्बर 3 के नये नम्बर खसरा नम्बर 8 रकबा 1. 27 हैक्टर, खसरा नम्बर 440 रकबा 0.43 हैक्टर, बसरा नम्बर 441 रकबा 0.25 हैक्टर, बसरा नम्बर 284 भिन रकबा 0. 25 हैक्टर कुल कित्ता 4 कुल रकबा 210 हैक्टर बनाए गए। इस मद में वर्णित भूमि को वाद पत्र में आगे चलकर विवादग्रस्त भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिरवा के महादेव व गोविन्दा पिसरान बीज्या हिस्सा आठ आने व प्रा व पाँचू व छोट पिसरान देवा कौम भीणा साकिन देह हिस्सा बराबर हिस्सा आठ आने राजस्व रिकार्ड सम्वत् 2023 लगायत 2026 में अंकित था। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिरवा जरिए नामान्तरकरण संख्या 156 के द्वारा नारायण, ग्यारस्था, कुसला पिसरान महादेव हिस्सा 1/4, गोविन्दा पुत्र बीज्या हिस्सा 1/8 व पूरा, छोट पिसरान देवा हिस्सा 1/3 व मंगली बेवा रामदेव हिस्सा 1/24 कौम भीणा का नाम अंकित हुआ है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिरवा जरिए नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 29.6.1981 के अनुसार रामनाथ पुत्र हीरालाल जाति भीणा हिस्सा 3/8 के नाम जरिए विक्रय पत्र स्वीकार हुआ व प्रा, छोट पिसरान देवा हिस्सा 1/3 व मंगली बेवा रामदेव हिस्सा 1/4 जाति भीणा बदस्तूर रहा। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिरवा जरिए नामान्तरकरण संख्या 191 दिनांक 22 10.1983 के द्वारा 1/3 हिस्सा जिसकी खातेदारी पुरा, छोट पिसरान देवा के नाम से थी को रामनाथ पुत्र हीरालाल भीणा निवासी चतरपुरा के नाम से स्वीकार हुई अर्थात् खसरा नम्बर 3 में रामनाथ पुत्र हीरालाल का 17/24 हिस्सा व मंगली बेवा रामदेव का 7/24 हिस्सा दर्ज रहा। उपरोक्त इन्द्राज, वादी व मंगली बेवा रामदेव के खातेदारी अधिकारों के अनुरूप थे। किसी भी पक्ष से अर्थात् वादी तथा मंगली बेवा रामदेव ने एक दूसरे हिस्से में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया। मंगली द्वारा यह स्वीकार किया गया कि विवादग्रस्त भूमि में वादी रामनाथ का 17/24 हिस्सा है व वादी ने यह स्वीकार किया है कि मंगली बेवा रामदेव का विवादग्रस्त भूमि में 7/24 हिस्सा है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिरवा में वादी का 17/24 हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का 7/24 हिस्सा है। बन्दोवस्त के पश्चात् खसरा नम्बर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिरवा के खसरा नम्बर 8 रकबा 1.27 हेक्टर, खसरा नं. 440 रकबा 0.43 हैक्टर, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.15 हैक्टर, खसरा नम्बर 284 भिन रकबा 0 25 हैक्टर कुल कित्ता चार कुल रकबा 10 हैक्टर कायम किए गये। बन्दोवस्त कार्यवाही के पश्चात् बन्दोवस्त विभाग ने, खतौनी बन्दोवस्त में वादी को खसरा नम्बर 8 रकबा 1.27 हैक्टर भूमि का राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार अंकित किया। चूँकि वादी का विवादग्रस्त भूमि अर्थात् 2.10 हैक्टर भूमि का 17/24 हिस्सा था व है



सहायक दफ्तर
जयपुर शहर द्वितीय

इसलिए बन्दोवस्त विभाग को वादी के नाम 1/48 हैक्टर भूमि अंकित करनी चाहिए थी, इसकी तुलना में बन्दोवस्त विभाग ने गत खसरा नम्बर 3 की केवल मात्र 1.27 हैक्टर भूमि खसरा नम्बर 8 के रूप में अंकित की है जो कि वादी के विवादग्रस्त भूमि में खातेदारी अधिकारों से 0.21 हैक्टर भूमि कम है। इस प्रकार बन्दोवस्त विभाग ने वादी के खाते में वादी के खातेदारी अधिकारों के विपरीत कम भूमि अर्थात् 0.21 हैक्टर भूमि कग अंकित की। बन्दोवस्त विभाग ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम, उनमें निहित अधिकारों से अधिक भूमि का अंकन कर दिया अर्थात् जो भूमि वादी के खाते में दर्ज करनी चाहिए थी वह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या-4 के नाम दर्ज करदी। उपरोक्त अंकन अधिकारविहीन, आधार- हीन व क्षेत्राधिकार विहीन इन्द्राज है। भू-राजस्व अधिनियम के तहत बन्दोवस्त विभाग को न तो किसी व्यक्ति के खातेदारी अधिकार समाप्त करने के अधिकार है और न ही किसी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान करने के अधिकार प्राप्त हैं। मौजूदा प्रकरण मैं बन्दोवस्त विभाग ने वादी के 0.21 हैक्टर भूमि के अधिकार समाप्त कर दिए और प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से उपरोक्त अधिकारों का अंकन कर दिया। इस प्रकार बन्दोवस्त विभाग ने बिना किसी कानूनी प्रक्रिया के व बिना किसी आधार के इन्द्राजात किए हैं जो बेमुकाबले वादी बातिल बेअसर व शून्य प्रभावी इन्द्राज हैं। कानूनन बन्दोवस्त विभाग को बन्दोवस्त कार्यवाही के पश्चात् 1.48 हैक्टर भूमि अंकित करनी चाहिए थी जिन्होंने ऐसा नहीं कर राजस्व कानून की धोर अवहेलना की है एवम् अधिकारविहीन इन्द्राजात किए हैं। बन्दोवस्त के दौरान बन्दोवस्त विभाग ने खसरा नम्बर 284 कायम किए जिसमें गत खसरा नम्बर 3 की 0.25 हैक्टर भूमि सामिलित की गयी है एवं भूमि को गैर मुमकिन सड़क अंकित कर दिया गया है। बन्दोवस्त विभाग को उपरोक्त इन्द्राज करने का अधिकार नहीं है क्योंकि राजस्थान सरकार अथवा प्रतिवादी संख्या-4 ने कभी भी किसी भी कानून के तहत गत खसरा नम्बर 3 हाल खसरा नम्बर 284 मिन की रकबा 0.25 हैक्टर भूमि कभी भी अर्वाप्त नहीं की गयी। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा-63 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त भूमि में वादी के अधिकार केवल उसी अवस्था में समाप्त हो सकते हैं जबकि भूमि अर्वात्त अधिनियम के प्रावधानों के तहत भूमि अर्वात्त की जाए। खसरा नम्बर 3 अथवा खसरा नम्बर 284 की भूमि में वादी के अधिकार समाप्त करने के सम्बन्ध में भू-प्रबन्ध विभाग ने जो कार्यवाही की है वह बातिल बेअसर व शून्य प्रभावी है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को, बन्दोवस्त कार्यवाही समाप्त होने के पश्चात् कथन किया कि चूँकि बन्दोवस्त विभाग ने वादी व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के अधिकारों के विपरीत खतौनी बन्दोवस्त में इन्द्राज किए हैं इसलिए वह चलकर तहसील में इन्द्राजात की दुरुस्ती करवाले तथा जिस भूमि पर वादी को अधिकार प्राप्त है वह वादी का नाम अंकित करवादे तथा जिस भूमि में प्रतिवादी को अधिकार प्राप्त है वह प्रतिवादी के नाम अंकन करवा दें। प्रतिवादी संख्या -1 लगायत 3 पहले तो सहमत हो गए परन्तु उन्होंने अगस्त 2004 में ऐलानीया इंकार कर दिया कि चूँकि बन्दोवस्त विभाग ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम से भूमि अंकित की है इसलिए वह इन्द्राज को कभी भी दुरुस्त नहीं करायेगे क्योंकि इन इन्द्राजों से उन्हें लाभ प्राप्त हो रहा है। वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3



से कथन किया कि केवल मात्र राजस्व रिकार्ड में बन्दोवस्त विभाग के इन्द्राज से किसी भी व्यक्ति को लाभ एवं अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इस पर पुनः वादी ने अन्य व्यक्तियों की मध्यस्थता में इन्द्राजात दुरुरस्ती का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 को निवेदन किया तथा दिनांक 15.9.2004 को प्रतिवादी संख्या-1 लगायत 3 ने पूर्ण रूप से इंकार कर दिया कि वह किसी भी सूरत में इन्द्राजात की दुरुरस्ती नहीं करवायेगे। बन्दोवस्त से पूर्व विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर-3 रकबा 8 बीघा 5 बिरवा सह खातेदारी की भूमि थी। भूमि का कभी भी विधिवत् राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत बंटवारा नहीं हुआ। बहरहाल अर्से दराज से पक्षकार अपनी सुविधा अनुसार भूमि काश्त करते रहे हैं। बन्दोवस्त विभाग ने विवादग्रस्त भूमि का गलत रूप से अधिकार विहीन बंटवारा कर खसरा नम्बर 440, 441 प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम अंकित कर दिया। बन्दोवस्त विभाग को बन्दोवस्त कार्यवाही के दौरान भूमि विभाग का अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार बन्दोवस्त विभाग ने जो विभाजन करके भूमि का अलग-अलग नम्बर का अलग-अलग व्यक्तियों के नाम अंकन किया है वह अधिकार विहीन व क्षेत्राधिकार विहीन है। इस इन्द्राजात के आधार पर न तो विवादग्रस्त भूमि को बंटी हुई भूमि माना जा सकता है न ही इसके अलग-अलग खाते कायम किए जा सकते हैं। भूमि का बंटवारा केवल मात्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के तहत ही किया जा सकता है। प्रार्थी ने जयपुर विककस प्राधिकरण के समक्ष निवेदन किया कि प्राधिकरण खसरा नम्बर 284 मिन रकबा 0.25 हैक्टर भूमि से अपना नाम हटवाले इस पर जयपुर विकास प्राधिकरण ने वादी का प्रार्थना-पत्र ही दिनांक 22.9.2004 को लेने से इंकार कर दिया जैसाकि पूर्व में अंकित किया गया है जयपुर विकास प्राधिकरण प्रतिवादी संख्या-4 को उक्त भूमि में कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार बन्दोवस्त विभाग ने उनके नाम से जो अंकन किया है वह क्षेत्राधिकार विहीन व अधिकार विहीन है। वादी को प्रतिवादी संख्या 1 लगायत -3 के विरुद्ध किांक 15.9.2004 को वाद हैतुक उत्पन्न हुआ जबकि वह इन्द्राज दुरुरस्ती करने व भूमि का विधिवत् बंटवारा करने से इंकार हो गए। वादी को प्रतिवादी संख्या-4 के विरुद्ध वाद हैतुक तब उत्पन्न हुआ जब प्रतिवादी संख्या 4 ने वादी के इन्द्राजात दुरुरस्त करने के प्रार्थना-पत्र को स्वीकार करने से व देखने में ही इंकार कर दिया।



अतः में प्रार्थना की गई है कि दावा वादी डिक्री किया जाकर गत खसरा नम्बर 8 रकबा 8 बीघा 5 बिरवा जिसके नये खसरा नम्बर 8, 440, 441, 284 रकबा 3.10 हैक्टर भूमि में वादी का 17/24 हिस्सा घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में उक्त अनुसार हिस्सा अंकित किया जाए। दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी के नाम खसरा नम्बर 440 रकबा 0.43, खसरा नम्बर 441 रकबा 0.15, खसरा नम्बर 284 मिन रकबा 0.25 हैक्टर भूमि को विलोपित किया जाए। दावा वादी डिक्री किया जाकर भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम से जो इन्द्राजात किए हैं उन्हें शून्य प्रभावी घोषित किया जाकर उक्त भूमि में से 1.4 है0 भूमि का वादी को राजस्व रिकार्ड में खातेदार काश्तकार अंकित किया जाए। दावा वादी डिक्री किया जाकर भूमि का विधि अनुसार विभाजन किया जाकर अलग-अलग खाता कायम कर वादी के हिस्से में आई भूमि वादी के खाते में अंकित की जाए। दावा वादी डिक्री किया जाकर


प्रतिवादीगण को रथाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाए कि वह बंटवारे के परिणामस्वरूप वादी के हिस्से में आई भूमि 1.48 हैक्टर में न तो स्वयं किसी प्रकार की दखलअंदाजी करे न ही अपने किसी एजेंट सर्वेन्ट इत्यादि से दखलअंदाजी करवाये।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 जरिये अधिवक्ता उपस्थित आये। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया जिसमें अंकित है कि :- वादी के कब्जे में 17/24 हिस्से की भूमि के बाबत जो साबिका खसरा नम्बर 3 के नवीन नम्बर कायम हुये हैं वे खसरा नम्बर 8 रकबा 1.27 हैक्टर तथा 284 मिन रकबा 25 ऐयर हैं और मिन उत्तरदातागण के कब्जे व काशत में अपने हिस्से 7/24 की भूमि के नवीन नम्बर 440 रकबा 0.43 हैक्टर तथा खसरा नम्बर 441 रकबा 0.15 हैक्टर कायम हुये हैं। वादी का हिस्सा 17/24 जिस जगह वह कब्जे में था उसमें से सड़क निकल जाने के कारण 25 ऐयर भूमि सड़क में चली गई और उस सड़क का मिन नम्बर 284 डालकर 25 ऐयर कम दर्ज नियमानुसार वादी के खाते में की गई हैं। यानि उत्तरदातागण के कब्जे में से भूमि सड़क में नहीं गई है, जो भूमि गई है वह वादी के कब्जे से गई है जैसा कि तहसीलदार से अपने जवाब में स्पष्ट कहा है, यह जवाब वादी द्वारा प्रस्तुत 136 आर०एल०आर० एक्ट की दरखास्त में पेश किया गया था, इस लिहाज से वादी का यह कहना कि भूमि उसके खाते में 21 ऐयर कम दर्ज की है, गलत है। भू-प्रबन्ध विभाग में वादी व मंगली ने वादग्रस्त भूमि के मुतालिक सहमति देकर बंटवारा कराया है, वादी व मंगली ने ए०एस०ओ० के समक्ष उपस्थित होकर सड़क में भूमि चले जाने के बाद रजाबन्दी होकर खसरा नम्बर 440, 441 की भूमि मिन उत्तरदातागण व मंगली के खाते व कब्जे में तथा 8 व 12/1178 की भूमि रामनाथ के खाते व कब्जे में रखने की स्वीकृति दी थी क्योंकि सड़क के एक ओर रामनाथ का कब्जा काशत था, दूसरी ओर मंगली व मिन उत्तरदातागण का कब्जा है हिस्से अनुसार दोनो के कब्जे में रकबे में असर नहीं था और इसी स्वीकृति व आदेश के बाद पर्चा खतौनी भी जारी कर दी है इस लिहाज से भू-प्रबन्ध का कार्य सहमति व विधि अनुसार है। वादी के खाते व कब्जे में सहमति के आधार पर ही मिन उत्तरदाता के खाते व कब्जे की दीगर भूमि 12/1178 रकबा 0.16 ऐयर दर्ज हुई है जिसके लिए वादी ने कुछ भी तहरीर नहीं किया है इससे स्पष्ट है कि वादी की नियत खोटी है। सहमति के आधार पर किये गये इन्द्राज के विपरित वादी कुछ भी कहने से कानूनन एस्टोपड है। इस लिहाज से वादी का वाद समैरली निरस्त किये जाने योग्य है। मिन प्रतिवादीगण के खाते व कब्जे में जितनी भूमि सेटलमेन्ट कार्यवाही के पूर्व थी उतनी ही भूमि वर्तमान में खाते व कब्जे में है और जितनी भूमि वादी के कब्जे काशत में से सड़क में चली जाने के बाद भूमि बचनी चाहिए उतनी ही भूमि वादी के कब्जे काशत में वर्तमान में है। सड़क निकल जाने के कारण सड़क का नया नम्बर डालना वाजिब था और है। वादी का यह कहना उसके खाते में भूमि कम दर्ज कर मिन प्रतिवादीगण के नाम अंकित कर दी है, कतैय गलत व मिथ्या है। भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा सड़क में भूमि चले जाने के बाद किया गया अंकन किसी भी दृष्टि से अधिकार विहिन व विधि विरुद्ध नहीं कहा जा सकता है। आपसी सहमति के आधार पर भू-प्रबन्ध



सहायक अधिवक्ता
जयपुर शहर द्वितीय

विभाग ने कार्यवाही की हैं। कानूनन गत सेटलमेन्ट तथा वर्तमान सेटलमेन्ट के दरमयान भूमि की रिथति में यदि परिवर्तन हो जाता हैं तो नवीन सेटलमेन्ट में उसका अंकन करना लाजिमी व कानूनन आवश्यक हो जाता हैं। इस लिहाज से प्रश्नागत मामले में किया गया इन्द्राजात सेटलमेन्ट विभाग का बिल्कुल सही हैं। वादी को उसके खाते व कब्जे की भूमि में 25 ऐयर सड़क में चली जाने के कारण सड़क विभाग से कार्यवाही करनी चाहिए, उसमें संबंधित मुवावजा की कार्यवाही करनी चाहिए। सड़क निकल जाने के बाद वादी ने भू-प्रबन्ध विभाग में जाकर सहमति दी हैं जिसके फलस्वरूप मिन वर्तमान इन्द्राज दर्ज हुए हैं। वादी के 25 ऐयर भूमि सड़क में चली जाने के कारण वादी के 25 ऐयर भूमि के मुतालिक अधिकार समाप्त होने वाली बात स्वीकार हैं। बकिया इबारत जिस प्रकार से तहरीर किया हैं गलत व विधि विरुद्ध होने के कारण स्वीकार नहीं हैं। सड़क का निर्माण नियमानुसार कार्यवाही से किया गया है जो सार्वजनिक उपयोग की हैं। इस लिहाज से मिन प्रतिवादीगण के खाते में बेशी भूमि दर्ज करने का वादी का लगाया गया आरोप मिथ्या व बोगस होकर शून्य है। जब उत्तरदातागण के कब्जे व हिस्से अनुसार भूमि साबिका असे दराज से कब्जे मुतालिक वर्तमान में सही दर्ज की हैं तो उसे दुरुस्त कराने की कार्यवाही मिन उत्तरदातागण क्यों करते या क्यों आश्वासन देते। सारी कहानी मनगढन्त रूप से दर्ज कर मिन उत्तरदातागण की भूमि को हड़प लेना चाहता हैं जिसका उसे कोई अधिकार न था, न हैं। दिनांक 15-9-2004 का वाक्या होना भी वादी ने गलत तहरीर किया हैं, भूमि सड़क में चले जाने के कारण वादी के खाते में कम अंकित हुई हैं जो स्पष्ट हैं। जिसकी उत्तरदायी मिन उत्तरदातागण पर नहीं हो सकती हैं। इस लिहाज से वाद गलत तथ्यों पर आधारित होने के कारण समैरेली निरस्त किये जाने योग्य हैं। वादी को 17/24 हिस्सा तथा मिन उत्तरदातागण का 7/24 हिस्सा भूमि में अर्से दराज से मौके पर बटा हुआ हैं। जिसे वादी स्वयं स्वीकार करके आया हैं। मिन उत्तरदातागण जिस भू-भाग पर अपने बुजुर्गों के जमाने से काबिज चले आ रहे हैं उसकी खातेदारी अपने नाम पाने के अधिकारी थे और हैं। भू-प्रबन्ध विभाग ने 440, 441 कब्जे के अनुसार ही बाहमी बंटवारे के अनुसार सहमति के आधार पर ही सही रूप से मिन उत्तरदातागण के नाम दर्ज की है जो कतैय उनके हिस्से 7/24 से अधिक भूमि नहीं हैं, वादी की एक इंच भूमि भी उत्तरदातागण के कब्जे में नहीं है। वादी के भूमि 25 ऐयर सड़क में चले जाने के कारण कम दर्ज हुई हैं। जिसे वादी स्वयं स्वीकार करता हैं तो वादी का यह कहना कि था कतैय गलत हैं, नक्शे में सड़क के उत्तरदातागण का कब्जा पूर्व अनुसार चला नम्बर 440, 441 कायम हुये हैं तथा सड़क के वादी का कब्जा काशत पूर्व अनुसार चला आ रहा हैं जिसका नवीन नम्बर 8 कायम हुआ हैं। इस सड़क को कायम हुये भी अर्सा हो चुका है। इस लिहाज से वादी का आरोप बंटवारा विधि अनुरूप नहीं होने का कतैय निर्थक हैं। वाद समैरेली निरस्त किये जाने योग्य हैं। भू-प्रबन्ध विभाग में दी गई सहमति के कारण वादी अपने कथन से प्रतिबंधित हैं। जब वादी ने 284 रकबा 25 ऐयर भूमि से कब्जा जे०डी०ए० को हटाने का निवेदन करना स्वीकार किया हैं तो यह भूमि साफ तौर पर वादी के कब्जे काशत में होना माना जा सकता हैं। इस लिहाज से वादी का रकबा इसी वजह से कम दर्ज किया हैं जो सही हैं। बन्दोबस्त विभाग ने सड़क में भूमि चली जाने के कारण सड़क के



सहायक सचिव
जयपुर शहर द्वितीय

साथ में दर्ज करने में कोई गलती नहीं की है और आपसी सहमति से ही वादी के खाते में 12/1178 की 0.16 ऐयर भूमि दर्ज हुई है उसके लिए वादी ने कुछ भी नहीं कहा है। जिसमें वादी की खोटी नियत का पता चलता है। भूमि अर्से दर्राज से बटी हुई है। खाता व लगान अलग अलग कायम हो चुका है, नये सिरे से बंटवारे की बात करना बेतुकी व धैरानी है। दिनांक 15-9-2004 को वाद हेतुक कोई उत्पन्न नहीं हुआ है। वर्तमान में कोई भूमि वादी व प्रतिवादीगण भिन की मुशतरका नहीं है जिसका कि बंटवारा किया जावे। इस लिहाज से वाद समैरली निरस्त किये जाने योग्य हैं।

अतः जवाब दावा प्रस्तुत कर निवेदन है कि वाद वादी मय हर्वा विशेष खारिज फरमाया जावे।

प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 4 व 5 को जवाब दावा प्रस्तुत करने हेतु अनेक अवसर देने के उपरांत भी जवाब दावा प्रस्तुत नहीं करने पर जवाब दावा का अवसर बंद किया गया।

वाद में निम्न तनकीयात कायम की गई -

1. आया विवादाग्रस्त भूमि गत खसरा नंबर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 6, 440, 441, 284 रकबा 2.10 हैक्टयर भूमि में वादी 17/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार है घोषित करवाने का अधिकारी है?

..... जिम्मे वादी

2. आया भू-प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम भूमि को इन्द्राज किये गये है वो शून्य प्रभावी इन्द्राज है तथा उन्हे दुरुस्त करवाकर वादी खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है?

....जिम्मे वादी

3. आया भूमि खसरा नंबर 284 रकबा 0.25 हैक्टयर भूमि जो गैर मुम्किन सडक दर्ज की गई है को भूमि वादी के खाते में दर्ज की गई है वो विधि सम्मत है?



....जिम्मे प्रतिवादी

4. आया वादी ने सहमति देकर गैर मुम्किन सडक रख्य के नाम अंकित करवायी है?

....जिम्मे प्रतिवादी

5. आया बन्दोबस्त विभाग ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम निहित अधिकारों से अधिक भूमि का अंकन कर दिया जो भूमि वादी के नाम अंकित होनी चाहिये?

सहायक न्यायिक अधिकारी
उजयपुर शहर द्वितीय



....जिम्मे वादी

6. अन्य अनुतोष!

वाद में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्यवादी हेतु नियत की गई। वादी की ओर से निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :

क्रमांक	साक्षी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	विशेष विवरण
पीडब्ल्यू-1	रामनाथ	हीरालाल	ग्राम चतरपुरा तहसील सांगानेर जिला जयपुर	मुख्य परिक्षण कराया गया। जिरह अधिवक्तागण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा की गई।
पीडब्ल्यू-2	परमानन्द जाबडोलिया	डालुराम जाबडोलिया	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर	जिरह अधिवक्तागण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा की गई।
पीडब्ल्यू-2	देवनारायण	जगन्नाथ	ग्राम दरबानों की ढाणी गोनेर रोड लूनियावास जयपुर	जिरह अधिवक्तागण प्रतिवादी संख्या 1 से 3 द्वारा की गई।

प्रतिवादी द्वारा निम्न साक्ष्य प्रस्तुत किये गये :-

क्रमांक	साक्षी का नाम	पिता/पति का नाम	पता	विशेष विवरण
डीडब्ल्यू-1	जगदीश	कल्याण	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जयपुर	मुख्य परीक्षण कराया गया जिरह अधिवक्ता वादी द्वारा की गई।
डीडब्ल्यू-2	हनुमान	नानगराम	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जयपुर	जिरह अधिवक्ता वादी द्वारा की गई।
डीडब्ल्यू-3	जगदीश नारायण	कल्याण	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जयपुर	जिरह अधिवक्ता वादी द्वारा की गई।
डीडब्ल्यू-4	रूपनारायण	भैरु	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जयपुर	जिरह अधिवक्ता वादी द्वारा की गई।
डीडब्ल्यू-7	जगदीश	महादेव	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर	जिरह अधिवक्ता वादी द्वारा की गई।
डीडब्ल्यू-8	भगवान सहाय	कल्याण	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जयपुर	ग्राम दांतली तहसील सांगानेर जयपुर।

सहायक जज
जयपुर शहर द्वितीय

वादी द्वारा अपने वाद के समर्थन में निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये :-

दस्तावेजात क्रमांक	विवरण
प्रदर्श-1	विक्रय पत्र दिनांक 19.10.1983 की प्रमाणित प्रति
प्रदर्श-2	विक्रय पत्र दिनांक 27.10.1980 की प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रदर्श-3	खसरा नंबर 8 की जमाबंदी संवत् 2074 से 2077 की प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रदर्श-4	नामान्तकरण संख्या 156 दिनांक 18.04.1979 की प्रति।
प्रदर्श-5	नामान्तकरण संख्या 175 दिनांक 29.06.1981 की प्रति।
प्रदर्श-6	नामान्तरकरण संख्या 191 दिनांक 21.10.1983 की प्रति।
प्रदर्श-7	खतौनी सम्वत् 2022 से 2026
प्रदर्श-8	मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नंबर 3 हाल खसरा नंबर 8, 440, 441, 284 मिन की प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रदर्श-9	खसरा नंबर 440, 441 की सम्वत् 2055 की जमाबंदी की प्रमाणित प्रतिलिपि
प्रदर्श-10	खसरा नंबर 284 की जमाबंदी संवत् 2055 की प्रमाणित प्रति

प्रतिवादी द्वारा निम्न दस्तावेजात प्रस्तुत किये गये :-

दस्तावेजात क्रमांक	विवरण
प्रदर्श ए-1	प्रमाणित प्रति ट्रेस नक्शा
प्रदर्श ए-2	नक्शा प्रमाणित प्रतिलिपि संवत् 1923-24
प्रदर्श ए-3	जमाबंदी संवत् 2059-2062
प्रदर्श ए-4	प्रमाणित प्रति बन्दोबस्त जमाबंदी संवत् 2023-2026
प्रदर्श ए-5	मिलान क्षेत्रफल हाल बन्दोबस्त 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009
प्रदर्श ए-6	प्रमाणित प्रतिलिपि जवाब तहसीलदार क्रमांक 72/2000
प्रदर्श ए-7	प्रमाणित प्रति फर्द अहकाम मु0न0 72/2000 रामनाथ बनाम नानगी देवी आदेशिका दिनांक 03.06.2005



अभियक्ता उभयपक्ष की बहस वादपत्र पर सुनी गई। बहस सुनी जाकर पत्रावली का मय दस्तावेजात व प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत अवलोकन किया गया। वाद का तनकीवार निर्णय निम्नानुसार है :-

तनकी नंबर 1 : आया विवादग्रस्त भूमि गत खसरा नंबर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा जिसके नये खसरा नंबर 6, 440, 441, 284 रकबा 2.10 हैक्टेयर भूमि में वादी 17/24 हिस्से का खातेदार काश्तकार है घोषित करवाने का अधिकारी है ... जिम्मे वादी

इस तनकी को सिद्ध करने का भार वादी पर था। वादी ने इसे सिद्ध करने के लिए बन्दोबस्त 1 जुलाई 1989 से 30 जून 2009 का भू-प्रबंध विभाग द्वारा तैयार मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श पी-8 के रूप में अंकित करवाकर प्रस्तुत

सहायक न्यायिक अधिकारी
जयपुर शहर द्वितीय

किया और कथन किया कि गत खसरा नंबर 3 के नये बने खसरे व उनका रकबा निम्नानुसार है :-

गत खसरा	रकबा	वर्तमान खसरा	रकबा
3	8 बीघा 1 बिस्वा	8	1.27 हैक्टेयर
		440	0.43 हैक्टेयर
		441	0.15 हैक्टेयर
		284 मि.	0.25 हैक्टेयर

उक्त मिलान क्षेत्रफल के द्वारा वादी ने यह सिद्ध करने का प्रयास किया कि वादी के गत खसरा नंबर 3 जिनका रकबा 8 बीघा 1 बिस्वा था। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा के महादेव व गोविन्दा पिसरान बीज्या हिस्सा आठ आने व पूरा व पाँचू व छोटू पिसरान देवा कौम मीणा साकिन देह हिस्सा बराबर हिस्सा आठ आने राजस्व रिकार्ड सम्बन्ध 2023 लगायत 2026 में अंकित था। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा जरिए नामान्तरकरण संख्या 156 के द्वारा नारायण, ग्यारस्या, कुसला पिसरान महादेव हिस्सा 1/4, गोविन्दा पुत्र बीज्या हिस्सा 1/8 व पूरा, छोटू पिसरान देवा हिस्सा 1/3 व मंगली बेवा रामदेव हिस्सा 1/24 कौम मीणा का नाम अंकित हुआ है। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा जरिए नामान्तरकरण संख्या 175 दिनांक 29.6.1981 के अनुसार रामनाथ पुत्र हीरालाल जाति मीणा हिस्सा 3/8 के नाम जरिए विक्रय पत्र स्वीकार हुआ व प्रा, छोटू पिसरान देवा हिस्सा 1/3 व मंगली बेवा रामदेव हिस्सा 1/4 जाति मीणा बदस्तूर रहा। विवादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा जरिए नामान्तरकरण संख्या 191 दिनांक 22.10.1983 के द्वारा 1/3 हिस्सा जिसकी खातेदारी पूरा, छोटू पिसरान देवा के नाम से थी को रामनाथ पुत्र हीरालाल मीणा निवासी चतरपुरा के नाम से स्वीकार हुई अर्थात् खसरा नम्बर 3 में रामनाथ पुत्र हीरालाल का 17/24 हिस्सा व मंगली बेवा रामदेव का 7/24 हिस्सा दर्ज रहा। उपरोक्त इन्द्राज, वादी व मंगली बेवा रामदेव के खातेदारी अधिकारों के अनुरूप थे। किसी भी पक्ष से अर्थात् वादी तथा मंगली बेवा रामदेव ने एक दूसरे हिस्से में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं किया।

वादी गत खसरा नंबर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा में हिस्सा 17/24 का खातेदार था तथा प्रतिवादी मंगली बेवा रामदेव 7/24 हिस्से की खातेदार थी। यह सिद्ध करने में वादी सफल रहा है।

लेकिन वादी गत खसरा नंबर 3 के नये नंबर जो 8, 440, 441, 284 मिन कुल रकबा 2.10 हैक्टेयर बनाये गये हैं उसमें 17/24 हिस्से की खातेदारी प्राप्त करने का अधिकारी है अथवा नहीं यह वाद का मूल बिन्दू है। क्योंकि दौराने भू-प्रबंध हाल खसरा नंबर 8 रकबा 1.27 हैक्टेयर की खातेदारी वादी के नाम कर दी गई। जिसमें 0.21 हैक्टेयर भूमि कम है जबकि मूल खसरा नंबर 3 में 17/24 हिस्से में गणना करते समय वादी का हिस्सा 1.48 हैक्टेयर बनता है। इस प्रकार भू-प्रबंध विभाग ने वादी के खाते में वादी के खातेदारी अधिकारों के विपरित कम भूमि अर्थात् 0.21 हैक्टेयर भूमि कम अंकित की। अर्थात् जो

सहायक क्लर्क
जयपुर शहर द्वितीय

भूमि वादी के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी वह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम अंकित कर दी। जो प्रदर्श 10 से साबित है।

तथा वादी का कथन रहा है कि बन्दोबस्त विभाग द्वारा खसरा नंबर 284 कायम किये जिसमें गत खसरा नंबर 3 की 0.25 हैक्टेयर भूमि सम्मिलित की गयी है एवं भूमि गैर मुमकिन सड़क अंकित कर दिया गया है। बन्दोबस्त विभाग को उपरोक्त इन्द्राज करने का अधिकार नहीं है क्योंकि राजस्थान सरकार अथवा प्रतिवादी संख्या 4 ने कभी भी किसी भी कानून के तहत गत खसरा नंबर 3 हाल खसरा नंबर 284 मिन की रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि कभी भी अवाप्त नहीं की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के प्रावधानों के तहत उपरोक्त भूमि में वादी के अधिकार केवल उसी अवस्था में समाप्ति हो सकते हैं जबकि भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत भूमि अवाप्ति की जाए।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने दौराने बहस कथन किया कि वादी ने अपने वाद को सिद्ध करने हेतु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये हैं। वादी व प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से यह तो सिद्ध है कि गत खसरा नंबर 3 से बने हाल खसरा नंबर जो वादी व प्रतिवादी की खातेदारी में है कमी की गई है लेकिन उक्त भूमि कहीं कम की गई यह वादी द्वारा अपने वादपत्र में कही भी विनिश्चित नहीं किया है। यह भी सिद्ध नहीं किया है कि जो भूमि वादी की 0.21 हैक्टेयर कम हुई है वह प्रतिवादी के अंकित की गई है। जबकि प्रतिवादी का गत खसरा नंबर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा में 7/24 हिस्सा अर्थात् लगभग 0.60 हैक्टेयर बनता है और वर्तमान में भी खसरा नंबर 440 रकबा 0.43 हैक्टेयर व 441 रकबा 0.17 हैक्टेयर अर्थात् कुल 0.60 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज की गई है जो प्रदर्श ए-3 से साबित है। प्रदर्श ए-3 से पूर्णरूप से साबित है कि प्रतिवादी के भूमि अधिक अंकित नहीं की गई है।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने दौराने बहस कथन किया कि गत खसरा नंबर 3 में पूर्व में कच्चा रास्ता था जो प्रदर्श ए-1 से नक्शे में भी दर्शाया हुआ है और नक्शे में स्पष्ट रूप से यह भी दर्शित है कि जो डॉटेड लाईन है वह रास्ते के रूप में अंकित है और उक्त सड़क गत खसरा नंबर 3 के बीचो-बीच से निकल रही है और वर्तमान में जो भूमि गत खसरा नंबर 3 में से कम हुई है वह सड़क में गई है। और वादग्रस्त भूमि सड़क में गई है इस तथ्य की ताहीद स्वयं वादी ने अपने जिरह में दौराने प्रश्न प्रतिवादी के कहा है कि "प्रश्न प्रतिवादी अधिवक्ता - सड़क बनी तब किस खसरे में से जमीन गई थी। उत्तर- खसरा नंबर 3 में से ही जमीन गई थी।" अर्थात् मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी ने यह स्वीकार किया है कि गत खसरा नंबर 3 की भूमि सड़क में गई थी। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि गत खसरा नंबर 3 में वादी व प्रतिवादी सम्मिलित में ही काश्त करते थे लेकिन उनका मौखिक बंटवारा हो रखा है क्योंकि पूर्व में भी वादग्रस्त आराजीयात में रास्ता था तथा अब भी पक्की सड़क के रूप में रास्ता अंकित है और सड़क के एक छोर पर वादी व दूसरे छोर प्रतिवादी कब्जे-काश्त में है। अर्थात् यह साबित है कि वादी की भूमि में जो कमी हुई है वह सड़क में भूमि जाने के कारण हुई है, और भू-प्रबंध विभाग को दौराने सेटलमेंट यह अधिकार होता है कि वह (1) दौराने सेटलमेंट भूमि कि किस्म परिवर्तन कर

सहायक जलकृषि
जयपुर शहर द्वितीय

सकता है। (2) रास्ते का अंकन कर सकता है। (3) गैर मुमकिन आवादी के अंकन कर सकता है।

भू-प्रबंध के अधिकारों के आधार पर ही गत खसरा नंबर 3 में डॉटेड लाईन से दर्शित सड़क का भू-प्रबंध विभाग ने पृथक से खसरा नंबर 284 मिन कायम कर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित किया है जो कानूनन विधि अनुसार है। भू-प्रबंध विभाग ने वादग्रस्त आराजी का विभाजन भी नहीं किया है। प्रदर्श ए-1 से नक्शे में भी दर्शाया हुआ है और नक्शे में स्पष्ट रूप से यह भी दर्शित है कि जो डॉटेड लाईन है वह रास्ते के रूप में अंकित है और उक्त सड़क गत खसरा नंबर 3 के बीच-बीच से निकल रही है। अर्थात् सड़क के कारण वादी व प्रतिवादी के मध्य पूर्व में भी बाहमी बंटवारा था और सड़क बन जाने के पश्चात खाते अलग हुये है। वादग्रस्त भूमि में जहाँ तक तकारामें का प्रश्न है गत खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर अलग-अलग खाते के रूप में अंकित है और तकारामें हेतु वाद में तनकीयात भी कायम नहीं की गई है। पीडब्ल्यू-1 ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि सड़क के एक छोर पर वह तथा दूसरी छोर पर प्रतिवादी काबिज थे। वादी द्वारा अपने वाद में जो अनुतोष चाहा गया है वह सम्मिलित भूमि की खातेदारी में चाहा गया है वह कानूनन प्रदान नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तुत विवरण के आधार पर प्रतिवादी ने अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से यह साबित किया है कि वादी की जो भूमि कम हुई है वह सड़क में भूमि जाने के कारण हुई है प्रतिवादी के भूमि का अधिक अंकन नहीं हुआ है। और वादी कुल खसरा नंबर 2.10 हैक्टेयर में 17/24 हिस्से की घोषणा करा पाने का अधिकारी नहीं है।

अतः तनकी नंबर 1 विरुद्ध वादी व प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 2 : आया भू-प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम भूमि के इन्द्राज किये गये हैं वो शून्य प्रभावी इन्द्राज है तथा उन्हें दुरुस्त करवाकर वादी खातेदार घोषित करवाने का अधिकारी है?जिम्मे वादी

तनकी नंबर 2 को साबित करने का भार वादी पर था। वादी का कथन रहा कि मूल खसरा नंबर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा में वादी का 17/24 हिस्से में गणना करते समय वादी का हिस्सा 1.48 हैक्टेयर बनता है। लेकिन भू-प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नंबर 3 के नये नंबर बनाते समय वादी का हिस्सा 1.27 हैक्टेयर अंकित कर दिया। इस प्रकार भू-प्रबंध विभाग ने वादी के खाते में वादी के खातेदारी अधिकारों के विपरित कम भूमि अर्थात् 0.21 हैक्टेयर भूमि कम अंकित की। अर्थात् जो भूमि वादी के खाते में दर्ज होनी चाहिए थी वह भूमि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 एवं कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 4 के नाम अंकित कर दी। जो प्रदर्श 10 से साबित है तथा वादी का कथन रहा है कि बन्दोबरस्त विभाग द्वारा खसरा नंबर 284 कायम किये जिसमें गत खसरा नंबर 3 की 0.25 हैक्टेयर भूमि सम्मिलित की गयी है एवं भूमि गैर मुमकिन सड़क अंकित कर दिया गया है। बन्दोबरस्त विभाग को उपरोक्त इन्द्राज करने का अधिकार नहीं है क्योंकि राजस्थान सरकार अथवा प्रतिवादी संख्या 4 ने कभी भी किसी भी

सहायक जज
जयपुर शहर द्वितीय

कानून के तहत गत खसरा नंबर 3 हाल खसरा नंबर 284 भिन की रकबा 0.25 हैक्टयर भूमि कभी भी अवाप्त नहीं की गई। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 63 के प्राधानो के तहत उपरोक्त भूमि में वादी के अधिकार केवल उसी अवस्था में समाप्ति हो सकते हैं जबकि भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत भूमि अवाप्ति की जाए।

अधिवक्ता प्रतिवादी ने दौराने बहस कथन किया कि गत खसरा नंबर 3 में पूर्व में कच्चा रास्ता था जो प्रदर्श ए-1 से नक्शे में भी दर्शाया हुआ है और नक्शे में स्पष्ट रूप से यह भी दर्शित है कि जो डॉटेड लाईन है वह रास्ते के रूप में अंकित है और उक्त सड़क गत खसरा नंबर 3 के बीचो-बीच से निकल रही है और वर्तमान में जो भूमि गत खसरा नंबर 3 में से कम हुई है वह सड़क में गई है। और वादग्रस्त भूमि सड़क में गई है इस तथ्य की ताहीद रखयं वादी ने अपने जिरह में दौराने प्रश्न प्रतिवादी के कहा है कि "प्रश्न प्रतिवादी अधिवक्ता - सड़क बनी तब किस खसरे में से जमीन गई थी। उत्तर- खसरा नंबर 3 में से ही जमीन गई थी।" अर्थात् मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी ने यह स्वीकार किया है कि गत खसरा नंबर 3 की भूमि सड़क में गई थी। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि गत खसरा नंबर 3 में वादी व प्रतिवादी सम्मिलित में ही काश्त करते थे लेकिन उनका मौखिक बंटवारा हो रखा है क्योंकि पूर्व में भी वादग्रस्त आराजीयात में रास्ता था तथा अब भी पक्की सड़क के रूप में रास्ता अंकित है और सड़क के एक छोर पर वादी व दूसरे छोर प्रतिवादी कब्जे-काश्त में है। अर्थात् यह साबित है कि वादी की भूमि में जो कमी हुई है वह सड़क में भूमि जाने के कारण हुई है, और भू-प्रबंध विभाग को दौराने सेटलमेंट यह अधिकार होता है कि वह (1) दौराने सेटलमेंट भूमि कि किस्म परिवर्तन कर सकता है। (2) रास्ते का अंकन कर सकता है। (3) गैर मुम्किन आबादी के अंकन कर सकता है।

भू-प्रबंध के अधिकारो के आधार पर ही गत खसरा नंबर 3 में डॉटेड लाईन से दर्शित सड़क का भू-प्रबंध विभाग ने पृथक से खसरा नंबर 284 भिन कायम कर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित किया है जो कानूनन विधि अनुसार है। भू-प्रबंध विभाग ने वादग्रस्त आराजी का विभाजन भी नहीं किया है। प्रदर्श ए-1 से नक्शे में भी दर्शाया हुआ है और नक्शे में स्पष्ट रूप से यह भी दर्शित है कि जो डॉटेड लाईन है वह रास्ते के रूप में अंकित है और उक्त सड़क गत खसरा नंबर 3 के बीचो-बीच से निकल रही है। अर्थात् सड़क के कारण वादी व प्रतिवादी के मध्य पूर्व में भी बाहमी बंटवारा था और सड़क बन जाने के पश्चात खाते अलग हुये हैं। वादग्रस्त भूमि में जहाँ तक तकासमें का प्रश्न है गत खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर अलग-अलग खाते के रूप में अंकित है और तकासमें हेतु वाद में तनकीयात भी कायम नहीं की गई है। पीडब्ल्यू-1 ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि सड़क के एक छोर पर वह तथा दूसरी छोर पर प्रतिवादी काबिज थे। वादी द्वारा अपने वाद में जो अनुलोष चाहा गया है वह सम्भिलित भूमि की खातेदारी में चाहा गया है वह कानूनन प्रदान नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तुत विवरण के आधार पर प्रतिवादी ने अपने दरतावेजी व मौखिक साक्ष्यो से यह साबित किया है कि वादी की जो भूमि कम हुई है वह सड़क में

भूमि जाने के कारण हुई है प्रतिवादी के भूमि का अधिक अंकन नहीं हुआ है। अर्थात् भू-प्रबंध विभाग द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 4 के नाम भूमि के इन्द्राज किये गये हैं व विधिअनुसार है।

अतः तनकी नंबर 2 विरुद्ध वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 3 : आया भूमि खसरा नंबर 284 रकबा 0.25 हैक्टेयर भूमि जो गैर मुमकिन सड़क दर्ज की गई है को भूमि वादी के खाते में दर्ज की गई है वो विधि सम्मत है?जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नंबर 3 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादी का कथन रहा कि गत खसरा नंबर 3 में पूर्व में कच्चा रास्ता था जो प्रदर्श ए-1 से नक्शे में भी दर्शाया हुआ है और नक्शे में स्पष्ट रूप से यह भी दर्शित है कि जो डॉटेड लाईन है वह रास्ते के रूप में अंकित है और उक्त सड़क गत खसरा नंबर 3 के बीचो-बीच से निकल रही है और वर्तमान में जो भूमि गत खसरा नंबर 3 में से कम हुई है वह सड़क में गई है। और वादग्रस्त भूमि सड़क में गई है इस तथ्य की ताहीद स्वयं वादी ने अपने जिरह में दौराने प्रश्न प्रतिवादी के कहा है कि "प्रश्न प्रतिवादी अधिवक्ता - सड़क बनी तब किस खसरे में से जमीन गई थी। उत्तर- खसरा नंबर 3 में से ही जमीन गई थी।" अर्थात् मौखिक साक्ष्य में स्वयं वादी ने यह स्वीकार किया है कि गत खसरा नंबर 3 की भूमि सड़क में गई थी। प्रतिवादी ने यह भी कहा कि गत खसरा नंबर 3 में वादी व प्रतिवादी सम्मिलित में ही काश्त करते थे लेकिन उनका मौखिक बंटवारा हो रखा है क्योंकि पूर्व में भी वादग्रस्त आराजीयात में रास्ता था तथा अब भी पक्की सड़क के रूप में रास्ता अंकित है और सड़क के एक छोर पर वादी व दूसरे छोर प्रतिवादी कब्जे-काश्त में है। अर्थात् यह साबित है कि वादी की भूमि में जो कमी हुई है वह सड़क में भूमि जाने के कारण हुई है, और भू-प्रबंध विभाग को दौराने सेटलमेंट यह अधिकार होता है कि वह (1) दौराने सेटलमेंट भूमि कि किसम परिवर्तन कर सकता है। (2) रास्ते का अंकन कर सकता है। (3) गैर मुमकिन आबादी के अंकन कर सकता है।



भू-प्रबंध के अधिकारो के आधार पर ही गत खसरा नंबर 3 में डॉटेड लाईन से दर्शित सड़क का भू-प्रबंध विभाग ने पृथक से खसरा नंबर 284 मिन कायम कर जयपुर विकास प्राधिकरण के नाम अंकित किया है जो कानूनन विधि अनुसार है। भू-प्रबंध विभाग ने वादग्रस्त आराजी का विभाजन भी नहीं किया है। प्रदर्श ए-1 से नक्शे में भी दर्शाया हुआ है और नक्शे में स्पष्ट रूप से यह भी दर्शित है कि जो डॉटेड लाईन है वह रास्ते के रूप में अंकित है और उक्त सड़क गत खसरा नंबर 3 के बीचो-बीच से निकल रही है। अर्थात् सड़क के कारण वादी व प्रतिवादी के मध्य पूर्व में भी बाहमी बंटवारा था और सड़क बन जाने के पश्चात खाते अलग हुये है। वादग्रस्त भूमि में जहाँ तक तकासमें का प्रश्न है गत खसरा नंबर से बने हाल खसरा नंबर अलग-अलग खाते के रूप में अंकित है और तकासमें हेतु वाद में तनकीयात भी कायम नहीं की गई है। पीडब्ल्यू-1 ने दौराने जिरह यह स्वीकार किया है कि सड़क के एक छोर पर वह तथा दूसरी छोर पर प्रतिवादी काबिज थे। वादी द्वारा अपने वाद में जो

सहायक जयपुर शहर द्वितीय

अनुतोष चाहा गया है वह सम्मिलित भूमि की खातेदारी में चाहा गया है वह कानूनन प्रदान नहीं किया जा सकता है।

प्रस्तुत विवरण के आधार पर प्रतिवादी ने अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से यह साबित किया है कि वादी की जो भूमि कम हुई है वह सड़क में भूमि जाने के कारण हुई है।

अतः तनकी नंबर 3 प्रतिवादी के पक्ष में व विरुद्ध वादी निर्णित की जाती है।

तनकी नंबर 4 : आया वादी ने सहमति देकर गैर मुमकिन सड़क स्वयं के नाम अंकित करवायी है?जिम्मे प्रतिवादी

तनकी नंबर 4 को साबित करने का भार प्रतिवादी पर था। तनकी संख्या 4 के लिए प्रतिवादी का कथन रहा है कि उक्त तनकी की मेरी तरफ आने की संभावना नहीं है। उपर वर्णित तनकीयात के निर्णय से यह साबित हो चुका है कि वादी के जो भूमि 0.21 हैक्टेयर कम हुई है वह सड़क में जाने से हुई है। और भू-प्रबंध अनुसार द्वारा नियमानुसार उक्त कार्यवाही की गई है। ऐसे में उक्त कार्यवाही के लिए वादी व प्रतिवादी की सहमति की आवश्यकता नहीं है। ना ही उक्त तनकी को साबित करने का भार प्रतिवादी का है।

तनकी नंबर 5 :आया बन्दोबस्त विभाग ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम निहित अधिकारों से अधिक भूमि का अंकन कर दिया जो भूमि वादी के नाम अंकित होनी चाहिए?जिम्मे वादी

तनकी नंबर 5 को साबित करने का भार वादी पर था। लेकिन वादी प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्यों से यह साबित करने में असफल रहे हैं कि बन्दोबस्त विभाग ने प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम निहित अधिकारों से अधिक भूमि का अंकन कर दिया है। जबकि प्रतिवादी का कथन रहा है कि गत खसरा नंबर 3 से बने हाल खसरा नंबर जो वादी व प्रतिवादी की खातेदारी में है कमी की गई है लेकिन उक्त भूमि कहीं कम की गई यह वादी द्वारा अपने वादपत्र में कही भी विनिश्चित नहीं किया है। यह भी सिद्ध नहीं किया है कि जो भूमि वादी की 0.21 हैक्टेयर कम हुई है वह प्रतिवादी के अंकित की गई है। जबकि प्रतिवादी का गत खसरा नंबर 3 रकबा 8 बीघा 5 बिस्वा में 7/24 हिस्सा अर्थात लगभग 0.60 हैक्टेयर बनता है और वर्तमान में भी खसरा नंबर 440 रकबा 0.43 हैक्टेयर व 441 रकबा 0.17 हैक्टेयर अर्थात कुल 0.60 हैक्टेयर भूमि ही दर्ज की गई है जो प्रदर्श ए-3 से साबित है। प्रदर्श ए-3 से पूर्णरूप से साबित है कि प्रतिवादी के भूमि अधिक अंकित नहीं की गई है। प्रतिवादी ने प्रस्तुत दस्तावेजात से साबित किया है कि प्रतिवादी के अधिक भूमि अंकित नहीं की गई है। वादी द्वारा ऐसा कोई दस्तावेजात प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के उसमें निहित अधिकारों से अधिक भूमि का अंकन कर दिया गया है।

अतः तनकी नंबर 5 विरुद्ध वादी व प्रतिवादीगण के पक्ष में निर्णित की जाती है।

सहायक लेखक
जयपुर शहर द्वितीय

आदेश

तनकी नंबर 1 से 5 के निर्णय अनुसार वादी अपने वाद को सिद्ध करने में पूर्णरूप से असफल रहे हैं। अतः वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर दर्ज नंबर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 18.07.2025 को सरे इजलास सुनाया गया।

li.
सहायक जज
जयपुर शहर, द्वितीय



सत्यमेव जयते

डिक्री मुकदमा इब्लदाई

(ओ. 20 रूल 6-7 जाब्ला दीवानी)

आज अदालत सहायक कलक्टर जयपुर शहर (द्वितीय) मुकाम जयपुर व

इजलास गौरव बांकावत (आर.एस.)

रामनाथ

बंगम

कल्याण व अन्य

दावा बाबत घोषणा, रिकॉर्ड डुरुस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 88, 53 एवं 188 राजस्थान कारतकारी अधिनियम

मुकदमा नम्बर - दावा / 2008 / 156

यह मुकदमा आज वास्ते इन्फिंसाल कतई रुबक श्री गौरव बांकावत व हाजिरी वकील वादी मिनजानिब मुहई रुबक प्रतिवादी संख्या 1 से 3 मिनजानिब मुदायलह पेश होकर हुकम दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

तनकी नंबर 1 से 5 के निर्णय अनुसार वादी का वादी का वाद खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है।

निज मुबलिंग बाबत
.. खर्चा इस मुकदमें में मय सूद बसबह फीसदी सालाना आज
की तारीख से तारीख अदायगी तक का अदा करें।

बसबह भेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 18.07.2025 को जारी की गई।

'मुहर

दस्तखत
सहायक कलक्टर
ओहदा शहर द्वितीय

मुहई	रुपये	पैसे	मुदायलह	रुपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा		00	स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा		00	स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कनिश्नर		
फीस कनिश्नर			बाबत		
बाबत			हुक्मनामा		
हुक्मनामा			मुत्फारिक		
मुत्फारिक		00			
			मीजान		

सहायक कलक्टर
जयपुर शहर द्वितीय

